(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
प्रथम अपील संख्या :– 23/2024
पंजीकरण संख्या :– 2024/176

बउनवान

श्री धनराज सुमन पुत्र स्व. श्री गोपीलाल सुमन जाति माली निवासी बमोरी रोड, वार्ड नं. 05, अंता तहसील अंता जिला बारां(राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 19.11.2024

उक्त ऑनलाईन अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के पत्र क्रमांक–रीडर/डी.एम./24/1129 दिनांक 22.10.2024 से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.09.2024 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर 06 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी, जो निम्न प्रकार हैः–

1. आवेदक को कार्यालय उपखंड अधिकारी, अंता से जारी पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/1209 दिनांक 06.10.2023 की तहसील कार्यालय की आवक रजिस्टर में दर्ज क्रमांक संख्या व दिनांक के पृष्ठ की छायाप्रति को पी.आई.ओ. के हस्ताक्षर और सील/मोहर में प्रमाणित कर प्रमाणित प्रति को जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करवाई जाए।
2. आवेदक को उपखंड अधिकारी, अंता से तहसीलदार के नाम जारी उक्त क्रमांक के पत्र पर तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही की छायाप्रति को पी.आई.ओ. के हस्ताक्षर और सील/मोहर से प्रमाणित कर प्रमाणित प्रति को जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करवाई जाए।
3. आवेदक को तहसीलदार के नाम जारी उक्त पत्र क्रमांक के संबंध में तहसीलदार द्वारा उपखंड अधिकारी, अंता को प्रेषित कार्यवाही रिपोर्ट की छायाप्रति को पी.आई.ओ. के हस्ताक्षर और सील/मोहर में प्रमाणित कर प्रमाणित प्रति को जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करवाई जाए।
4. आवेदक को तहसीलदार के नाम जारी उक्त पत्र के प्रार्थना पत्र में वर्णित शिकायत प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र की करवाई गई जांच रिपोर्ट की छायाप्रति को पी.आई.ओ. के हस्ताक्षर और सील/मोहर में प्रमाणित कर प्रमाणित प्रति को जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करवाई जाए।
5. जांच अधिकारी द्वारा लिये गए मौका पर्चा बयान की छायाप्रति को पी.आई.ओ. के हस्ताक्षर और सील/मोहर में प्रमाणित कर प्रमाणित प्रति को जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करवाई जाए।
6. आवेदक को उक्त पत्र क्रमांक के संबंध में तहसीलदार द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की छायाप्रति को पी.आई.ओ. के हस्ताक्षर और सील/मोहर में प्रमाणित कर प्रमाणित प्रति को जरिये रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करवाई जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:58:11 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी को उक्त 06 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा ऑनलाईन प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता के पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई 06 बिंदुओं की सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 22.10.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता को जरिये सम्मन क्रमांक 1315–1316 दिनांक 23.10.2024 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये सम्मन क्रमांक 1315–1316 दि. 23.10.2024से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा पत्र क्रमांक/एल.आर./2024/4703–13 दिनांक 11.11.2024 से बिंदुवार जवाब इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो निम्न प्रकार हैः–

1. अपीलार्थी को कार्यालय उपखंड अधिकारी, अंता से जारी पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/1209 दिनांक 06.10.2023 की तहसील कार्यालय के आवक रजिस्टर में दर्ज क्रमांक संख्या 2403 दिनांक 11.10.2023 के पृष्ठ की छायाप्रति संलग्न है।
2. अपीलार्थी को उपखंड अधिकारी, अंता में तहसीलदार के नाम जारी उक्त क्र.–भू.अ./3911 दिनांक 12.10.2023 द्वारा पटवारी हल्का को भिजवाये गये पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
3. अपीलार्थी को तहसीलदार के नाम जारी पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
4. अपीलार्थी को तहसीलदार के नाम जारी क्रमांक के प्रार्थना पत्र में वर्णित शिकायत प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र की करवाई गई जांच रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है।
5. छायाप्रति संलग्न है।
6. रजिस्टर्ड डाक से जवाब भिजवाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त यदि अपीलार्थी द्वारा किसी अन्य सूचना की आवश्यकता हो तो कार्यालय समय के दिवस पर उपस्थित होकर रिकार्ड का निरीक्षण करा दिया जावेगा।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं तहसीलदार, अंता से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र मे 06 बिंदुओं की सूचना चाही गई थी। जिसमे से लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता द्वारा अपीलार्थी को बिंदु संख्या 01 ता 05 से संबंधित सूचना भिजवा दी गई है एवं बिंदु संख्या 06 के संबंध में सूचित कर दिया गया है जिसकी एक प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी भिजवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, अंता एवं अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.01.28 15:38:11 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ